न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट बांदीकुई (दौसा)

E-Mail:-sdo-ban-dau-rj@nic.in
PH:-01420-228487

प्रकरण संख्या :—22/2024
प्रकरण दायर दिनांकः—15.03.2024
प्रकरण निर्णय दिनांकः— 14.08.2024

उनवान— राज. सरकार बनाम कंचनकिशोर वगै.

राजस्व ग्राम मोराडी स्थित खातेदारी भूमि में से मौके पर चालू रास्ते की भूमि को गै.मु. रास्ता दर्ज करने बाबत

निर्णय दिनांकः—14.08.2024

तहसीलदार बॉदीकुई ने पत्र कमांकः राजस्व/2024/265 दिनांकः 14.03.2024 द्वारा राजस्व ग्राम मोराडी स्थित खातेदारी भूमि खाता सं. नया 94 पुराना 93 के खसरा नं. 526 रकबा 0.33 हैक्ट. में से 0.0250 हैक्ट., खाता सं. नया 26 पुराना 26 के खसरा नंबर 525 रकबा 1.51 हैक्ट. में से 0.11 हैक्ट., खाता सं. नया 2 पुराना 2 के खसरा नं. 920/887 रकबा 0.17 हैक्ट. में से 0.0120 हैक्ट., खाता सं. नया 44 पुराना 44 के खसरा नं. 921/887 रकबा 0.08 हैक्ट. में से 0.01 हैक्ट. एवं खाता सं. नया 35 पुराना 35 के खसरा नं. 919/887 रकबा 0.10 हैक्ट. में से 0.0175 हैक्ट. भूमि का प्रस्ताव गै. मु. रास्ते के रूप में राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने बाबत प्रस्तुत किया है। प्रस्ताव की ताईद में भू. अ. निरीक्षक देलाडी, पटवारी हल्का प्रतापपुरा रिपोर्ट दिनांकः 10.03.2024, राजस्व जमाबंदी संवत 2074—77 ग्राम मोराडी खाता सं. नया 94 पुराना 93, खाता सं. नया 26 पुराना 26, खाता सं. नया 02 पुराना 02, खाता सं. नया 44 पुराना 44 एवं खाता सं. नया 35 पुराना 35 एवं संलग्न नक्शा ट्रेस जिसमें प्रस्तावित रास्ते को लाल स्याही से प्रदर्शित किया गया है, प्रस्तुत की है। तहसीलदार बॉदीकुई द्वारा उक्त खातेदारी भूमि में से मौके पर चालू रास्ते की भूमि को गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने का निवेदन किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण/खातेदारान हेतु विधिवत नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण/खातेदारान कंचनकिशोर, गुठ्ठलसिंह, प्रेमसिंह, लक्ष्मण, राजेन्द्र, भगवानसहाय, बाबूलाल, रामधन, पप्पूराम, छगनलाल, भागचन्द, किशोरीलाल, दुर्गालाल स्वयं न्यायालय हाजा उपस्थित आये, रास्ते हेतु असहमति प्रकट की। आदेशिका पर हस्ताक्षर किये गये। अप्रार्थीगण कमली, कैलाश पुत्र रामजीलाल, कमली देवी पत्नि मोहनलाल, कमली देवी पत्नि रामकरण, केशरी पत्नि रामसहाय, पूनी पत्नि पून्या, मन्जूबाई पुत्री बबलू, सुगनी देवी पत्नि रामसुखा, सोनू पुत्री रामकरण बावजूद तामील उपस्थित नहीं आने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थीगण लक्ष्मण पुत्र पूनीराम वगै. ने जवाब पेश कर प्रस्तावित रास्ते बाबत अप्रार्थीगण/खातेदारान की असहमति प्रकट की गई।

प्राप्त प्रस्ताव पर उभयपक्ष बहस सुनी गयी। हमने उभयपक्ष बहस पर मनन किया। तहसीलदार बॉदीकुई से प्राप्त प्रस्ताव एवं संलग्न दस्तावेजात तथा अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब का अवलोकन किया गया। तहसीलदार बॉदीकुई द्वारा राजस्व ग्राम मोराडी स्थित खातेदारी भूमि

Scanned with OKEN Scanner

खाता सं. नया 94 पुराना 93 के खसरा नं. 526 रकबा 0.33 हैक्ट. में से 0.0250 हैक्ट., खाता सं. नया 26 पुराना 26 के खसरा नंबर 525 रकबा 1.51 हैक्ट. में से 0.11 हैक्ट., खाता सं. नया 2 पुराना 2 के खसरा नं. 920/887 रकबा 0.17 हैक्ट. में से 0.0120 हैक्ट., खाता सं. नया 44 पुराना 44 के खसरा नं. 921/887 रकबा 0.08 हैक्ट. में से 0.01 हैक्ट. एवं खाता सं. नया 35 पुराना 35 के खसरा नं. 919/887 रकबा 0.10 हैक्ट. में से 0.0175 हैक्ट. भूमि का प्रस्ताव गै. मु. रास्ते के रूप में राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने बाबत पेश किया है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब में प्रस्तावित रास्ते बाबत अप्रार्थीगण/खातेदारान की असहमति प्रकट की गई है। अतः प्राप्त प्रस्ताव बाबत उपस्थित खातेदारान द्वारा एवं अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत कर असहमति प्रकट करने के कारण प्राप्त प्रस्ताव स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उभयपक्ष बहस पर मनन करने एवं तहसीलदार बॉदीकुई से प्राप्त प्रस्ताव व अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब के अवलोकन के आधार पर तहसीलदार बॉदीकुई द्वारा राजस्व ग्राम मोराडी स्थित खातेदारी भूमि में से प्रस्तावित रास्ते को राजस्व रिकार्ड में गै. मु. रास्ता दर्ज करने बाबत प्रस्तुत प्रस्ताव खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(रामसिंह राजावत)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

Scanned with OKEN Scanner

... आया है। वास्ते बहस दिनांक 5/8/24 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
[redacted]

5/8/24 पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष उपस्थित। बहस उभय पक्ष सुनी गयी। वास्ते आदेश दिनांक 14-8-24 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
[redacted]

14/8/24 पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष उपस्थित। उभयपक्ष बहस पर मनन किया। तहसीलदार बांदीकुई से प्राप्त प्रस्ताव व आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत आपत्ति का अवलोकन किया गया। खातेदारान द्वारा रास्ते बाबत असहमति प्रकट करने एवं आपत्ति पेश करने के कारण प्राप्त प्रस्ताव स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है अतः उभयपक्ष बहस पर मनन करने एवं प्राप्त प्रस्ताव व आपत्ति/जवाब के अवलोकन के आधार पर तहसीलदार बांदीकुई द्वारा राजस्व ग्राम - भोयडी स्थित खातेदारी भूमि में से प्रस्तावित रास्ते को राजस्व रिकार्ड में मौजूद रास्ता दर्ज करने बाबत प्रस्ताव खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक ...

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। [signature] 14.8.24 उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई	

Scanned with OKEN Scanner